राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एडीसी/2017/ दिनांक :

आदेश

फर्म मैसर्स राष्ट्रीय हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. जी–1–43, रिको इन्ड0 एरिया, जैतपुरा, चौमू, जिला–जयपुर (जिसे आगे से "लाईसेन्सी" के नाम से संबोधित किया जावेगा) जिसे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तद्धीन नियमावली 1945 (जिसे आगे से क्रमशः "अधिनियम" एवं "नियमावली" शब्दों के नाम से संबोधित किया जावेगा) के प्रावधानों के तहत सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या **RAJ-1430** प्रपत्र 25 पर दिनांक 30.12.1988 को जारी किये गये हैं एवं जो फार्म–26 जारी दिनांक 30.04.2013 पर दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2016 तक नवीनीकृत हैं, एवं फर्म द्वारा दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2021 तक के लिये नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात कार्यालय में प्रस्तुत नही किये गये एवं निरीक्षण दिनांक 06.01.2017 को ई–चालान जीआरएन नं. 0014415622 दिनांक 23.12.2016 राशि रूपये 7500 जमा जरिये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर भुगतान प्राप्ति दिनांक 28.12.2016 की छाया प्रति प्रस्तुत की। श्री अजीत जैन, सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर के पत्र कमांक एडीसी/2016/287 दिनांक 19.12.2016 की अनुपालना में श्रीमती सिंधु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा फर्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संदर्भ में दिनांक 06.01.2017 को फर्म का निरीक्षण श्री मोहम्मद यासीन, अध्यक्ष एवं ऑथोराईज्ड सिंगनेचरी समिति/फर्म की उपस्थिति में किया एवं निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति वक्त निरीक्षण उपलब्ध कराई गई।

कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी/जयपुर/2017/09 दिनांक 13.01.2017 द्वारा नियमावली के नियम 69 एवं 85 के तहत फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया एवं नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। तत्पश्चात कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी/जयपुर/2017/15 दिनांक 30.01.2017 एवं एडीसी/जयपुर/2017/34 दिनांक 21.02.2017 द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु स्मरण पत्र जारी किये गये। फर्म ने अपने पत्र कमांक 06.03.2017 के द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया।

यह कि कारण बताओ नोटिस के क्रम में प्रस्तुत लाईसेंसी का जवाब, निरीक्षण रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं फर्म/प्रकरण से संबंधित कार्यालय में संधारित रिकार्ड इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं मनन करने पर लाईसेंसी का जवाब निम्न कारणों से संतोषजनक नहीं पाया गया एवं अनियमितता किया जाना प्रमाणित हुआ।

क्र. सं.	निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी कारण बताओं नोटिस के विभिन्न बिन्दु	फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब	कॉलम संख्या 2 व 3 के लिये विवेचना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	That No physical stock of any batch of Surgical Dressing found during inspection.	समिति में पिछले एक वर्ष से निर्माण कार्य बन्द है। अतः कोई स्टॉक मौजूद नहीं है।	जवाब के साथ बैच अलोकेशन रजिस्टर/अन्य संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब संतोषजनक नही है एवं माने जाने योग्य भी नही है।	अनियमितता प्रमाणित है।
2	That whole premise seems to be unused since long and dirt/dust found deposited on machineries for which printout of photograph taken at the time of inspection.	पिछले एक वर्ष से निमार्ण कार्य बन्द होने के कारण सफाई नहीं होने से मशीनों पर डस्ट आदि लग रहा है।	यदि निर्माण कार्य इत्यादि बन्द है तो मशीनों को पॉलिथिन इत्यादि से पैक कर Machine not in use इत्यादि का लेबल लगाया जाना चाहिए था, जो निरीक्षण वक्त नहीं पाया गया। अतः प्रस्तुत जवाब से स्वतः ही स्पष्ट है कि फर्म ने स्वीकार किया है कि मशीनों पर डस्ट आदि लग रहा है।	अनियमितता प्रमाणित है
3	Labeling of all equipment & Machineries not found done	इक्यूपमेंट व मशीनों पर निमार्ण बन्द होने के कारण लबिल उतारकर रखा दिया गया है।	यदि निर्माण कार्य इत्यादि बन्द है तो मशीनों को पॉलिथिन इत्यादि से पैक कर Machine not in use इत्यादि का लेबल लगाया जाना चाहिए था, जो निरीक्षण वक्त नहीं पाया गया। अतः प्रस्तुत जवाब से स्वतः ही स्पष्ट है कि इक्यूपमेंट व मशीनों पर मशीनों के स्टेटस संबंधित कोई लेबल नही था। जवाब तथ्यहीन होने से संतोषजनक नही है।	अनियमितता प्रमाणित है
4	SOPs for operation of individual testing equipments not produced, neither Site Master File made available on demand	साइट मास्टर फाइल संलग्न है।	प्रस्तुत जवाब में SOPs for operation of individual testing equipments not produced का कोई ब्यौरा अंकित नही है तथा जवाब के साथ संलग्नक ए–4 के रूप में कम्प्यूटर टंकित दस्तावेज प्रेषित किया है, जिसपर किसी योग्य व्यक्ति/कम्पिटेन्ट ऑथोरिटी के हस्ताक्षर मय दिनांक नही है जब यह दस्तावेज तैयार किया गया, क्योकि निरीक्षण वक्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। केवल मात्र फर्म की सील मोहर तथा सचिव के दिनांक 06.03.2017 के हस्ताक्षर होना अंकित है। स्पष्ट है की दस्तावेज केवल म... जव...	अनियमितता प्रमाणित है

14/3/17

Contd.. 2

			प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है। अतः जवाब मानने योग्य व संतोषजनक नही है।	
5	No equipments were calibrated and status label was not displayed.	निर्माण कार्य चालू होने से पहले डिस्पले कर दिया जावेगा।	जवाब काल्पनिक होने से संतोषजनक व मानने योग्य नही है।	अनियमितता प्रमाणित है
6	Calibration schedules of Balances and other equipments not found prepared.	निर्माण कार्य बन्द होने कारण नहीं बनाया गया है।	जवाब काल्पनिक होने से संतोषजनक व मानने योग्य नही है क्योंकि जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है जो निर्माण कार्य बन्द नही होने से पहले की वस्तस्थिति दर्शाता हो।	अनियमितता प्रमाणित है
7	Separate statuary register was not maintained by the firm for NSQ declared drugs; neither any separate record produced on demand for NSQ declared drugs till inspection date.	NSQ रजिस्टर की प्रति संलग्न है।	जवाब के साथ संलग्नक ए–7 के रूप में कम्प्यूटर टंकित दस्तावेज प्रेषित किया है, जिस पर किसी योग्य व्यक्ति/कम्पिटेन्ट ऑथोरिटी के हस्ताक्षर मय दिनांक नही है जब यह दस्तावेज तैयार किया गया होगा, क्योकि निरीक्षण वक्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। केवल मात्र फर्म की सील मोहर तथा सचिव के दिनांक 06.03.2017 के हस्ताक्षर होना अंकित है। स्पष्ट है की दस्तावेज केवल मात्र जवाब प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है। उक्त दस्तावेज पर अवमानक बैच संख्या 1087,970,954 का ही उल्लेख है जबकि कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निर्माता फर्म के समय समय पर वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों से लिये गये औषधि के नमूनों में से इस फर्म के बैच संख्या 1026, 1028, 1029, 1043, 1046, 1071 भी अवमानक कोटि के घोषित हुये हैं।	अनियमितता प्रमाणित है
8	No employees found working during inspection	निर्माण कार्य नहीं होने कारण कर्मचारियों को कार्यशाला परिसर में हाजिर रहने के लिये पाबन्द नहीं किया गया है। अतः कर्मचारी मौजूद नहीं थे।	जवाब तथ्यो के विपरीत एवं काल्पनिक होने से संतोषजनक एवं मानने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है
9	Only one unit of surgical dressing of each batch found retained as control sample.	कन्ट्रोल सेम्पल का रिकार्ड मौजूद है।	इस संबंध में जवाब के साथ लिखित SOP एवं उसके अनुरूप कन्ट्रोल सेम्पल संधारित करने संबंधित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं करने से जवाब संतोषजनक नही एवं एक यूनिट प्रति बैच का निरीक्षण के वक्त कन्ट्रोल सेम्पल के रूप में पाया जाना पूर्णतया नियमानुसार नही है।	आंशिक रूप से अनियमितता प्रमाणित है
10	The Medical examination report of all the employees demanded, not found available and not produced.	कर्मचारियों के हैल्थ सर्टीफिकेट की फोटो सलंग्न है।	जवाब के साथ संलग्नक ए–10 के रूप में संलग्न दस्तावेजों की छायाप्रतियों पर दिनांक अंकित नहीं, जिससे यह पता चल सकें की मेडिकल जॉच किस तारीख को हुई है। अतः जवाब संतोषजनक एवं मानने योग्य नहीं है।	आंशिक अनियमितता प्रमाणित है।
11	That testing and manufacturing record for only last batch (Ordinary Bandage B.No. 1110, Mfg. Jan.2016) manufactured made available during inspection, no other record was available inside premise during inspection.	निर्माण कार्य नहीं होने के कारण सिर्फ अन्तिम बैच का ही रिकार्ड उपलब्ध कराया गया था। अन्तिम बैच जनवरी 2016 को निर्माण किया गया था। इसके बाद कोई बैच का निर्माण नहीं किया गया है।	जवाब संतोषजनक नही है क्योंकि बैच नं. 1110 से पूर्व के रिकार्ड ना तो निरीक्षण के वक्त दिखाये गये और ना ही जवाब के साथ रेण्डमली रूप में किसी अन्य बैच का कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया गया।	अनियमितता प्रमाणित है।
12	It is found that during inspection dated 06.01.2017, photocopy of E-Challan bearing GRN:- 0014415622 dated 23.12.2016 of rupees 7500 /- as fee for renewal of manufacturing license is submitted to Drug Control Officer but as per rule No documents submitted for renewal	समिति का ड्रग लाईसेंस का नवीनीकरण दिनांक 31दिसम्बर 2016 का समाप्त होने के कारण राजकीय कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा करवा दिया गया था। किन्तु नवीनीकरण से संबंधित दस्तावेज पूर्ण रूप से तैयार नही होने के कारण विभाग में दस्तावेज जमा नहीं हो सके। अतः वक्त	जवाब संतोषजनक नही होने से मानने योग्य नहीं है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आज दिनांक तक भी लाईसेंस के लिये नवीनीकरण संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है।	नियमानुसार लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु दस्तावेजात कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने है।

16/3/17

Contd... 3

	of license to Licensing Authority.`	निरीक्षण सिर्फ राजकीय कोष में जमा शुल्क की रसीद की प्रति उपलब्ध कराई थी।		
13	Sh. Jitendra Dheoya, Manufacturing chemist and Sh. Abdul Salam, Analytical Chemist as per endorsement on form-26 were not found present during inspection.	पिछले एक वर्ष से निमार्ण कार्य नहीं होने के कारण सक्षम व्यक्ति (केमिस्ट्स) वक्त निरीक्षण मौजूद नहीं हो सके थे।	जवाब संतोषजनक नही होने से मानने योग्य नही है क्योंकि जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह जानकारी प्राप्त हो कि बैच संख्या 1110 एवं इससे पूर्व के बैचों का निर्माण भी Sh. Jitendra Dheoya, Manufacturing chemist and Sh. Abdul Salam, Analytical Chemist की उपस्थिति में किया गया हो।	अनियमितता प्रमाणित है।
14	That on demand electricity bills of firm for last three years, not produced during inspection.	कार्यशाला परिसर किराये पर है तथा बिजली बिल आदि किराये राशि में सम्मिलित है। अतः बिजली बिल की प्रति उपलब्ध नहीं है।	बिजली के बिल के संबंध में जवाब सत्यता से परे है एवं संतोषजनक नही है एवं मानने योग्य भी नही है क्योंकि जवाब के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नही किया गया है। बिजली के बिल के संबंध में फर्म का जवाब सरासर झूठ व गुमराह करने मात्र है क्योंकि लाईसेंस प्राप्त करते वक्त 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर जो किरायानामा 08.12.88 विभाग में प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि "इसमें बिजली पानी, नल एवं टेलीफोन कनैक्शन लगा हुआ है, इसका खर्चा अलग से देना होगा"	फर्म का जवाब सरासर झूठ व गुमराह करने मात्र है, अतः अनियमितता प्रमाणित है।
15	That on demand rent deed of firm not produced during inspection.	किराया नामा रिकार्ड में अभी फिलहाल उपलब्ध नही हो पा रहा है। जैसे ही रिकार्ड में मिल जावेगा प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	फर्म का जवाब सरासर झूठ व गुमराह करने मात्र है क्योंकि लाईसेंस प्राप्त करते वक्त 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर जो किरायानामा 08.12.88 विभाग में प्रस्तुत किया है। उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि "इसमें बिजली पानी, नल एवं टेलीफोन कनैक्शन लगा हुआ है, इसका खर्चा अलग से देना होगा"	अनियमितता प्रमाणित है।
16	That on demand purchase bills & transport bilty of cotton gauze/ cotton cloth used as raw material for manufacturing of surgical dressing for last three years, not produced during inspection.	कच्चा माल खरीद का विवरण संलग्नक B 2.I संलग्न है।	जवाब के साथ संलग्नक बी 2.I के रूप में कम्प्यूटर टंकित दस्तावेज प्रेषित किया है, जिसमें रॉ मेटेरियल खरीद विवरण वर्ष 2014–15 के लिये राशि रूपये 12281558.55 अंकित है तथा वर्ष 2015–16 के लिये राशि रूपये 3853470.00 अंकित है, परन्तु निरीक्षण के दौरान मांगे गये दस्तावेजों के संबंध में ना तो जवाब में ब्यौरा अंकित है और ना ही purchase bills & transport bilty of cotton gauze/ cotton cloth के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया है।	अनियमितता प्रमाणित है।
17	That on demand attendance registers and pay slips of all employees for last three years including weavers, it was reported by president that salary is given in cash to all employees but no documents for same produced on demand during inspection.	कर्मचारियों को भुगतान किये गये वेतन का विवरण का संलग्नक B 3.I संलग्न है। समिति के बुनकर समिति के कर्मचारी नहीं है। अतः उनको बल्कि मजदूरी दी जाती है। जिसका विवरण संलग्नक B 3.I संलग्न है।	जवाब के साथ संलग्नक बी 3.I के रूप में कम्प्यूटर टंकित दस्तावेज प्रेषित किया है, जिसमें माह अप्रेल 2014 से मार्च 2015, अप्रेल 2015 से मार्च 2016 एवं अप्रेल 2016 से फरवरी 2017 तक वेतन भुगतान के लिये राशि अंकित की है तथा Wages के संबंध में 01 अप्रेल 2014 से 30 नवम्बर 2014 एवं 01 नवम्बर 2015 से जनवरी 2016 तक राशि अंकित की है परन्तु संबंधित कर्मचारियों के द्वारा उक्त राशि के प्राप्ति अथवा बैंक स्टेटमेन्ट इत्यादि दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नही किये जाने से जवाब मान्य नही है।	अनियमितता प्रमाणित है।
18	Last batch of surgical dressing mfd. By licensee in Jan. 2016 and machinery & equipments has not been used since then. Three years records of raw material purchase, testing, BMR, COA demanded but not produced by licensee during inspection.	पिछले एक वर्ष से निमार्ण कार्य बन्द हैं। अतः सिर्फ पिछले दो वर्षो के बैच निर्माण से संबंधित रिकार्ड संलग्नक B 3.II संलग्न है।	जवाब संतोषजनक नही होने से मानने योग्य नही है क्योंकि जवाब के साथ संलग्नक B 3.II कम्प्यूटर टंकित विवरण प्रस्तुत किया है परन्तु रेण्डमली raw material purchase, testing, BMR, COA से संबंधित ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे प्रस्तुत आंकडो की पुष्टि हो सके।	अनियमितता प्रमाणित है।
19	That president of society/firm stated that raw materials (cotton gauze/ cotton cloth) used for manufacturing of surgical dressing are not bleached in house	धुलाई से संबंधित विवरण संलग्नक B 4.I संलग्न है।	जवाब के साथ संलग्नक B 4.I के रूप में कम्प्यूटर टंकित दस्तावेज प्रेषित किया है, जिसमें धुलाई विवरण वर्ष 2014–15 के लिये राशि रूपये 2080350.00 एवं वर्ष 2015–16 के लिये राशि रूपये 632244.00 अंकित की है परन्तु संबंधित पार्टी के द्वारा हस्ताक्षरित इनवॉइस मय दिनांक एवं बैच/लॉट इत्यादि के संबंध में रेण्डमली कोई	आंशिक अनियमितता प्रमाणित है।

16/3/17

Contd. 4

	and no set up/facility of bleaching of raw material found available inside premise.		दस्तावेज साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं किया है। अतः जवाब पूर्ण रूप से संतोषजनक नही है।	

जिसके फलस्वरूप लाईसेंसी द्वारा नियमावली के नियम 124–C एवं शिड्यूल–एफ II सपठित अधिनियम की धारा 18(a)(vi), (b) एवं लाईसेंस की शर्तो (नियम 74 के विभिन्न बिन्दु जो प्रपत्र 25 से संबंधित) का उलंघन किया जाना प्रमाणित हैं।

अतः मैं संजय सिंघल, अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर नियमावली के नियम 85 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लाईसेंसी को जारी सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या RAJ-1430 प्रपत्र 25 पर दिनांक 30.12.1988 को जारी किये गये हैं एवं जो फार्म–26 जारी दिनांक 30.04.2013 पर दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2016 तक नवीनीकृत है को 06 माह (01 अप्रेल 2017 से 30.09.2017 तक) के लिये निलम्बित करता हूँ एवं यदि लाईसेंसी द्वारा नियमानुसार निर्धारित अवधि में मय लेट फीस लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन मय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता तो लाईसेंस स्वतः ही निष्प्रभावी होने से निरस्त मानें जावेगें एवं नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी।

उक्त कार्यवाही लाईसेंसी के विरूद्ध लम्बित/भविष्य में की जाने वाली किसी भी न्यायिक कार्यवाही पर बिना विपरीत प्रभाव डाले की जा रही है।

16/3/17

(संजय सिंघल)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।

क्रमांक : एडीसी/2017/ 49 दिनांक : 16/03/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

रजि॰ 1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, हैण्डलूम भवन, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने, टोंक रोड, जयपुर।

रजि॰ 2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, चौमू हाउस, जयपुर

3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0 क0/आई0ई0सी0/ई0एस0आई0/एम0एस0यू0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर।

4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।

5. औषधि नियंत्रक–प्रथम एवं द्वितीय, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।

6. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।

7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।

8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

रजि॰ 10. फर्म मैसर्स राष्ट्रीय हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. जी–1–43, रिको इन्ड0 एरिया, जैतपुरा, चौमू, जिला–जयपुर को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवधि में स्वीकृत उत्पाद (सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार) निर्माण, क्रय एवं विक्रय बंद रखें, तथा दिनांक 31.03.2017 को निर्माण की गई/की जाने वाली औषधियों का विवरण एवं संबंधित औषधि के लिये अन्तिम विक्रय बिल तथा दिनांक 01.10.2017 को निर्माण की गई/की जाने वाली औषधियों का विवरण एवं संबंधित औषधि के लिये प्रथम विक्रय बिल मय दस्तावेज यथा समय कार्यालय में प्रस्तुत करें। फर्म द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि "कार्यशाला परिसर किराये पर है तथा बिजली बिल आदि किराये राशि में सम्मिलित है। अतः बिजली बिल की प्रति उपलब्ध नहीं है।" जबकि लाईसेंस प्राप्त करते वक्त 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर जो किरायानामा दिनांक 08.12.88 विभाग में प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि "इसमें बिजली पानी, नल एवं टेलीफोन कनैक्शन लगा हुआ है, इसका खर्चा अलग से देना होगा" अतः इस परिपेक्ष्य में फर्म को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.10.2017 को निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व फर्म परिसर पर अलग से बिजली का कनेक्शन प्राप्त कर 1 वर्ष (Tentative) तक प्रति माह बिजली के बिल मय जमा राशि की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें। (रजिस्टर्ड)

11. श्रीमती सिंधु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना यथा समय सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

12. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

13. थानाधिकारी, पुलिस थाना, चौमू, जिला–जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा कार्यवाही हेतु इमदाद मांगे जाने पर उपलब्ध कराने का श्रम करें।

14. प्रभारी सर्वर रूम (मुख्यालय) को भेजकर लेख है कि कृपया पत्र को उक्त सभी को ई–मेल एवं संगठन के वेब पेज पर प्रदर्शित करने का श्रम करावें।

15. रक्षित पत्रावली/कार्यालय प्रति।

16/3/17

(संजय सिंघल)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।